अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की उनचासवीं (50वीं) बैठक डा. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 28 नवंबर, 2011 को अपराह्न 3.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 582 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 382 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 31 सितंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,77,258.79 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 7,32,839 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, एसईजेड से 3,15,867.85 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2009-10 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 43.11 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक (अर्थात 31 सितंबर, 2011 तक) कुल 1,76,479.69 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है।

मद संख्या 49.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) ग्राम आगरा एवं जक्कासांड्रा, बेलूर होबली, बेंगलुरू, कर्नाटक में 11.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मनीपाल ईटीए इनफोटेक लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। कर्नाटक सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम आगरा एवं जक्कासांड्रा, बेलूर होबली, बेंगलुरू, कर्नाटक में 11.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मनीपाल ईटीए इनफोटेक लिमिटेड मैसर्स मंत्री डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) 168.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम ध्रुब, मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। गुजरात सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 16 सितंबर, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 168.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम ध्रुब, मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) 1840 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। गुजरात सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 16 सितंबर, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 1840 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) 13.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गीगाप्लेक्स, प्लाट नंबर 5, एमआईडीसी, नालेज पार्क, एयरोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 08 नवंबर, 2011 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने 13.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गीगाप्लेक्स, प्लाट नंबर 5, एमआईडीसी, नालेज पार्क, एयरोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोन्नाडा, मुलापेटा, रामनक्कापेटा गांव में 1013.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार की सिफारिश की सूचना प्रदान करने वाले पत्र की प्रति बहुत विलंब से प्राप्त हुई जिसके कारण अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों में उसे परिचालित करने तथा उस पर विचार करने का समय नहीं मिला। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि आवश्यक प्रस्ताव तथा सहायक दस्तावेज समय से प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि अनुमोदन बोर्ड द्वारा समुचित विचार विमर्श के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तदनुसार, अगली बैठक तक प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य को आस्थगित कर दिया गया।

(vi) 104.373 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कालकुरूचि, चंद्रन कुलम और मल्लानकिनारी, कारियापाटी तालुक, विरूधनगर जिला, तमिलनाडु में ग्रेनाइट के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स पीआरपी ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने तक प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 49.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है।

(i) गांव गौड़काशीपुर एवं अरिसल, तहसील जतनी, जिला खुर्द, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 45.85 एकड़ (18.56 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में पूर्ण आईटी / आईटीईएस तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए साफ्टवेयर विकास सुविधा स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने टिप्पणी की कि सह विकासक को पट्टा पर देने के लिए प्रस्तावित भूमि सुधार के अधीन है तथा उन्होंने एसईजेड में भूमि शामिल किए जाने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। राजस्व विभाग ने यह भी अनुरोध किया कि प्रस्ताव के वित्तीय ब्यौरे भी प्रदान किए जाएं। अनुमोदन बोर्ड ने राजस्व विभाग के अनुरोध पर प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त से राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा।

(iii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हिरिसे हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि दो मौजूदा सह विकासकों अर्थात मैसर्स इयॉन हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स डीबी हासिपिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होटल स्थापित करने के लिए अनुमोदित दो प्रस्ताव दो साल की अवधि बीत जाने के बावजूद कार्यान्वयन में कोई प्रगति प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया कि एसईजेड के प्रयोजनार्थ इस स्थान पर होटल का निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा प्रस्तावित सुविधा पहले अनुमोदित फाइव स्टार होटल की तुलना में निम्नतर श्रेणी का है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में होटल स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हिरिसे हासपिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि परियोजना के अंतर्गत केवल

अधिकतम 150 कमरे निर्मित किए जाएंगे तथा इस अनुमोदन में प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट का निर्माण शामिल नहीं है।

(iv) राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की गई कि केवल प्रचालन एवं अनुरक्षण की गतिविधियों के संचालन के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है। तथापि, विकास आयुक्त ने दलील दी कि विगत में अनुमोदन बोर्ड द्वारा ऐसी गतिविधियां अनुमोदित की गई हैं। अनुमोदन बोर्ड ने इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया कि विकास आयुक्त इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ परियोजना के लिए औचित्य के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

मद संख्या 49.3 : औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध

(i) उथुकुली गांव, इरोड जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 मई, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 30 मई, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 49.4 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) वेरना औद्यसेगिक क्षेत्र, गोवा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स के रहेजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) वेरना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पैराडिगम लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह मामला 2010 की एसएलपी संख्या 36458 और 2011 की एसएलपी संख्या 127 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी पर फैसला होने तक उपर्युक्त दो प्रस्तावों को आस्थगित कर दिया।

(iii) पनवेल, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध किया कि ग्रीन जोन के रूप में एमएमआरडीए द्वारा अधिग्रहीत भूमि अधिसूचित की गई है और कंपनी ने अभी तक राज्य सरकार से रत्न एवं आभूषण एसईजेड स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार से अपेक्षित अनुमकत के अभाव में प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

(iv) माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 अक्टूबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) रविरियाल गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टारगेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 अक्टूबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 नवंबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vii) भिवाडी, अलवर जिला, राजस्थान में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राजस्थान सरकार ने विकासक के औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश नहीं की है। तथापि, नोट किया गया कि यह मामला राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में न्यायाधीन है जिसने निदेश दिया है कि परियोजना की भूमि पर यथास्थिति बनाए रखनी है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने उक्त भूमि पर स्टे लगे रहने तक मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(viii) अहमदाबाद, गुजरात में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि अपेक्षित बुनियादी अवसंरचना के सृजन के लिए विकासक द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने परियोजना की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश नहीं की। **इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।**

(ix) दिघी पोर्ट, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड सहित पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 अक्टूबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(x) आदित्यपुर, झारखंड में आटोमोबाइल्स / आटो कंपोनेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जून, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एथारिटी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 जून, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xi) नेदुम्बासेरी और चेंगामनाडु गांव, अलुवा तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 अक्टूबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 49.5 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) नक्कापल्ली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल्स - बल्क / एपीआई फमुलेशंस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 अगस्त, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ड्रग्स एंड फर्मास्युटिकल्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 अगस्त, 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 49.6 : कोयंबटूर, तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 25 जून, 2009 से 30 जून, 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एमईपीजेड को एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक के कब्जे में मौजूद कुल भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया।

मद संख्या 49.7 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) जगतसिंहपुर जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि ने कोई कारण बताए बगैर आस्थगित करने का अनुरोध किया। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यह पारदर्शी प्रथा नहीं है और दिन की समाप्ति से पहले उड़ीसा सरकार को कारण सहित अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद उड़ीसा सरकार से फैक्स के माध्यम से अनुरोध प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि वे बाद में अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। कोई कारण सहित निवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रथा को माफ किए बगैर अगली बैठक के लिए मामले को आस्थगित किया जाता है जिसके पहले राज्य सरकार सकारण अनुरोध प्रस्तुत कर सकती है।

मद संख्या 49.8 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) पचमा (अब्दुल्ला पुर), सिहोर जिला, मध्य प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 9 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रिलाएबल स्मार्ट सिटी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 9 सितंबर, 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि परियोजना के कार्यान्वयन में अनावश्यक रूप से अधिक समय लग रहा है। विकास आयुक्त परियोजना के स्टेटस और भूमि संबंधी आवश्यकता पूरी होने की संभावना पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) पोन्नेरी तालुक, तिरूवल्लूर जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स विक्रम लाजिस्टिक एंड मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 अक्टूबर, 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 49.9 : ग्राम फिरोजपुर और रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में बहु सेवा के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में ''अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र'' के अनुमोदन के लिए गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 18 के अनुसार अनुषंगी शर्तों की पूर्ति के अधीन ग्राम फिरोजपुर और रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में आईएफएससी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यह अनुमोदन वित्त मंत्रालय के माध्यम से आरबीआई, सेबी, इरडा तथा ऐसे अन्य संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन के अधीन है।

मद संख्या 49.10 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) ग्राम पुतेनक्रुज और कुन्नाथुनाडू, तालुक कुन्नाथुनाडू, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स इनफो पार्क्स केरल का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में 27.0477 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स इनफो पार्क्स केरल के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 39.6281 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

(ii) कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि में वृद्धि के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

केरल सरकार के प्रतिनिधि ने अपने पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2010 का हवाला दिया और बताया कि प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि के लिए अलग एसईजेड का निर्माण अनुकूल नहीं है क्योंकि इसकी वजह से प्रसंस्करण क्षेत्र को टुकड़ों में विभाजित करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने एकल एसईजेड का निर्माण करने के अपने अनुरोध को दोहराया तथा कहा कि अतिरिक्त भूखंड को मौजूदा अधिसूचित एसईजेड में शामिल किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया गया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि एक मौजूदा सड़क तथा सेतु के माध्यम से मौजूदा एसईजेड से जुड़ी है। ट्रैफिक में वृद्धि होने पर अतिरिक्त पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि अतिरिक्त क्षेत्र को पूरी तरह गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में रखना है। इस बात की भी पुष्टि की गई कि प्रसंस्करण क्षेत्र तथा समीपवर्ती गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों की फेंसिंग आदि सहित अनुमोदन बोर्ड द्वारा लगाई गई सभी आवश्यक शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसलिए, राज्य सरकार ने अनुमोदन बोर्ड से अनुरोध किया कि अतिरिक्त भूखंड को नए पुलों के निर्माण की प्रतीक्षा किए बगैर तत्काल अधिसूचित किया जाए।

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने यह कहते हुए प्रस्ताव का विरोध किया कि अधिसूचना से पूर्व यह आवश्यक है कि सन्निकटता स्थापित की जाए क्योंकि अतीत में ऐसी शर्त से छूट प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने आंध्र प्रदेश में मैसर्स इफको किसान यूनियन के

अधिसूचित एसईजेड के मामले में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय का हवाला दिया जहां समान स्थिति मौजूद थी।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि अतीत में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों सहित मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा और वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर निर्णय लिया जाएगा।

(iii) जयपुर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने क्रमश: एसईजेड में 52.093 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि और एसईजेड से 1.095 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 153.7639 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

(iv) जयपुर, राजस्थान में आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित लाइट इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के आवंटन के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में 119.4955 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 222.6730 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

(v) जयपुर, राजस्थान में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के आवंटन के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में 0.9440 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 11.08 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

(vi) बंटाला, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के आवंटन के लिए मैसर्स एमएल डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में 16.1874 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स एमएल डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 64.7497 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

(vii) मौजूदा सह विकासक के प्रचालन का क्षेत्रफल घटाने के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड सह विकासक अर्थात का क्षेत्रफल मैसर्स बेरग्रुइन प्रापर्टीज (नागपुर) प्राइवेट लिमिटेड 30.42 एकड़ से घटाकर 2.25 एकड़ करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया

(viii) बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड से 7.399 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.559 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

मद संख्या 49.11 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 18.604 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 18.604 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(ii) थुंबे गांव, बंटवाल तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में 12.80067 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बी ए टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने थुंबे गांव, बंटवाल तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में 12.80067 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बी ए टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(iii) संथाल (सरखेज - बावला हाइवे) तालुक सनंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 10.5146 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सिटी गोल्ड रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने संथाल (सरखेज - बावला हाइवे) तालुक सनंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 10.5146 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सिटी गोल्ड रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(iv) 103 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम लिंगमपल्ली एवं मेलासंगम, मुनीपल्ली मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डा. रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम लिंगमपल्ली एवं मेलासंगम, मुनीपल्ली मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 103 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल्स के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डा. रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 49.12 : एक से तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 4 फरवरी 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जियोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो एमएडीसी एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 04 फरवरी, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 11 नवंबर 2011 के बाद मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए रवीरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे सेमी कंडक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स केएसके सूर्या फोटोवाल्टिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 11 नवंबर, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 31 अगस्त, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सिगाची सेल्यूलस प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 31 अगस्त, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) 31 दिसंबर, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स शंकर पैकेजिंग लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि यूनिट ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। इसके अलावा विकासक ने यूनिट को आवंटित भूखंड को 11 अगस्त 2011 को निरस्त भी कर दिया है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

(v) 2 दिसंबर, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टोरेंट फर्मास्युटिकल्स (दाहेज) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 2 दिसंबर, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vi) 21 जनवरी 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विगोर लैबोरेटरीज जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 21 जनवरी, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vii) 11 सितंबर, 2011 के बाद अनुमति पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सिपला लिमिटेड (यूनिट 1) और मैसर्स सिपला लिमिटेड (यूनिट 2) जो भूत खांब, करीम, पोंडा, गोवा में फर्मास्युटिकल के लिए मैसर्स मेडीटैब स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिटें हैं, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उक्त एसईजेड का मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। इसलिए, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी पर फैसला होने तक उपर्युक्त अनुरोधों को आस्थगित कर दिया।

(viii) 27 जुलाई, 2009 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 27 जुलाई, 2009 से 27 जुलाई, 2012 तक यूनिट के औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ix) 30 नवंबर, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 31 मई, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई तथा निदेश दिया कि इस तिथि तक यूनिट क्रियाशील हो जानी चाहिए।

मद संख्या 49.13 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 2 दिसंबर 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टीएएल मैन्यूफैक्चरिंग सोल्यूशन लिमिटेड जो एमएडीसी एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 2 दिसंबर, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 6 नवंबर 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो मैसर्स मंगलौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 6 मार्च, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 49.14 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रह क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स रेसबर्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

(ii) गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रह क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटियंट प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि चूंकि ये यूनिटें क्रियाशील हो चुकी हैं इसलिए इन यूनिटों को शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विकास आयुक्त तथा डीजीएफटी के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि अतीत में ऐसे अनुरोधों को स्वीकार किया गया है तथा उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि यूनिटों की शिफ्टिंग के ऐसे मामलों में आयकर लाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10एए के अनुसार शेष अवधि के लिए अनुमत किए जाने चाहिए। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अतीत में समान मामलों में लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए फाइल पर इन मामलों की जांच करने का निदेश दिया। तदनुसार, प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 49.15 : मैसर्स संड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (रहेजा माइंडस्पेस एसईजेड) द्वारा माधापुर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई गई शर्त को

माफ करने के लिए मैसर्स पारेक्सल इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड द्वारा हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि चूंकि ये यूनिटें क्रियाशील हो चुकी हैं इसलिए इन यूनिटों को शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विकास आयुक्त तथा डीजीएफटी के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि अतीत में ऐसे अनुरोधों को स्वीकार किया गया है तथा उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि यूनिटों की शिफ्टिंग के ऐसे मामलों में आयकर लाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10एए के अनुसार शेष अवधि के लिए अनुमत किए जाने चाहिए। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अतीत में समान मामलों में लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए फाइल पर इन मामलों की जांच करने का निदेश दिया। तद्नुसार, प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 49.16 : मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में ट्रेडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स बालाजी पॉलीमर्स का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा उनकी यह राय थी कि ब्लेंडिंग का कार्य विनिर्माण की श्रेणी में आता है। तद्नुसार, प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजा गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने फाइल पर मामले की जांच करने का निदेश दिया और प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 49.17 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) नाम बदलकर मैसर्स सनस्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स जीयस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि हालांकि कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन है परंतु नई संस्था अर्थात मैसर्स सन स्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड में मूल शेयरधारकों ने लगभग 70 प्रतिशत शेयर अपने पास रखे हैं। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन नाम बदलकर मैसर्स सन स्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स जीयस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) नाम बदलकर मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड करने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बस अपना नाम बदलकर मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड कर लिया है तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित एसईजेड में जहां यह विकासक है, नाम बदलकर मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड करने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	सेक्टर / लोकेशन	स्थिति	अधिसूचना / अनुमोदन की तिथि	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	विकासक	26 अप्रैल, 2007	25.45
2.	पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	विकासक	26 अप्रैल, 2007	31.49
3.	दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	विकासक	22 जून, 2007	123.61
4.	रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	विकासक	03 सितंबर, 2009	60.94 + 120.09 = 181.03
5.	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	सह विकासक	14 अगस्त, 2008	59.5
6.	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम, तमिलनाडु में आईटी एसईजेड	सह-विकासक	09 मई, 2007	52.21
7.	इलेक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी पार्क द्वारा त्रिवेंद्रम, केरल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	सह-विकासक	22 जून, 2007	34.4750
8.	बंगलौर, कर्नाटक में आईटी एसईजेड	विकासक	01 जून, 2011	24.446

(iii) मैसर्स आरएमजेड इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड की संपूर्ण इक्विटी शेयरहोल्डिंग के 100 प्रतिशत अंतरण के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन मैसर्स आरएमजेड इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकासक मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संपूर्ण शेयरों के अंतरण के लिए मंजूरी प्रदान की :

(क) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ख) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(ग) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(घ) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

मद संख्या 49.18 : ग्राम निमेटा, तालुक वघोडिया, जिला वडोदरा, गुजरात में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स निपियम इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करना

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया कि दोनों पक्षों अर्थात निपियम इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स चेरविल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने अब अपने विवादों का समाधान कर लिया है अर्थात उनमें सहमति हो गई है तथा आस्थगन के लिए अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को इस मामले में अगली बैठक से पहले स्पष्ट रिपोर्ट प्रदान करने का निदेश दिया और तद्नुसार प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 49.19 : अनुमोदन बोर्ड का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम भोकरापाड़ा, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में दो प्रवेश / निकास बिंदुओं तथा फेंसिंग के निर्माण की विधि के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड का अनुरोध

विचार विमर्श के अनुमोदन बोर्ड ने दो प्रवेश एवं निकास बिंदुओं तथा कुल तीन मीटर ऊंची चारदीवारी जिसमें न्यूनतम 600 एमएम ऊंची खुरदुरी रबल चिनाई दीवार, 1.8 मीटर ऊंची चिन लिंक और शीर्ष 600 एमएम की कटीले तार की फेंसिंग शामिल है, के निर्माण के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की।

(ii) मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि को नियमित करने के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड द्वारा मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल के एलओपी की वैधता अवधि 1 जनवरी से 2008 से 31 दिसंबर 2012 तक बढ़ाने के लिए एफएसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय की पुष्टि की गई। तथापि, कोई डीटीए लेनदेन अनुमत नहीं होगा।

मद संख्या 49.20 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) अधिकृत प्रचालनों के लिए कुछ इनपुट सेवाओं के अनुमोदन के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स यूपीएस लाजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया। तथापि, अपीलकर्ता बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर अपील की जांच की जाए।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 49.21 : नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स रिटॉक्स बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आवासीय फ्लैटों की बिक्री

विकासक महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) के प्रतिनिधि ने बताया कि मिहान एसईजेड की अधिसूचना से पूर्व कुछ संविदात्मक बाध्यताओं के कारण सह विकासक अर्थात मैसर्स रिटॉक्स बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय फ्लैटों का निर्माण करने तथा एसईजेड से असंबद्ध व्यक्तियों को बेचने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, अनुमोदन बोर्ड के निर्देश पर 'बिक्री' शब्द को 'पट्टा' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तथापि, अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक को इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया कि एसईजेड से बाहर के व्यक्तियों को आवासीय फ्लैट पट्टा पर नहीं दिए जा सकते हैं। विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने यह भी बताया कि संपूर्ण गैर प्रसंस्करण क्षेत्र को विमुक्त करने के लिए 8 दिसंबर 2008 को अनुरोध किया गया था। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक अर्थात मैसर्स रिटॉक्स और डी वाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल द्वारा विकसित किए जा रहे 12.55 हेक्टेयर और 10.12 हेक्टेयर को शामिल न करते हुए केवल 338.28 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मंजूरी प्रदान की थी। यह निर्णय शेष क्षेत्र की सन्निकटता स्थापित होने की शर्त के अधीन था। तथापि, एसईजेड और 12.55 हेक्टेयर एवं 10.12 हेक्टेयर के बीच सड़क होने के कारण यह सन्निकटता संभव नहीं थी। अत: अनुरोध किए गए संपूर्ण क्षेत्र (338.28 हेक्टेयर) को विमुक्त करने की आवश्यकता थी।

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यह स्थिति इस वजह से उत्पन्न हुई है कि विकासक (एमएडीसी) और सह विकासक (रिटॉक्स) के बीच करार एसईजेड अधिनियम के लागू होने के पूर्व किया गया था। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने परियोजना के संबंध में किसी संस्था द्वारा प्राप्त किए गए सभी लाभों की वापसी के अधीन मैसर्स रिटॉक्स को आवंटित भूमि को विमुक्त करने का निर्णय लिया और यह भी निदेश दिया कि वाणिज्य विभाग ऐसा दंड लगाने का अधिकार करता है जिसे यह उपयुक्त समझे। यह भी रेखांकित किया गया कि इस विशेष मामले में लिया गया निर्णय विशिष्ट

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसे दृष्टांत के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

विकास आयुक्त किसी अपेक्षित अग्रेतर कार्रवाई का प्रस्ताव करते हुए सन्निकटता के मुद्दे पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हो गई।

****

अनुबंध 1

वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 28 नवंबर, 2011 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. डा. राहुल खुल्लर, बीओए अध्यक्ष एवं सचिव, वाणिज्य विभाग
2. श्री रमन चोपड़ा, निदेशक (आईटीए), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
3. श्री विवेक रंजन, अतिरिक्त निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
4. सुश्री एच के प्रसाद, अपर निदेशक (निर्यात संवर्धन), डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. श्री नजीब शाह, डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
6. डॉ एल बी सिंघल, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशक
7. श्री शिवेन्द्र सिंह, सचिव, नाडा, जमशेदपुर, झारखंड सरकार
8. श्री ए के गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक, रीको, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान
9. श्री बी एम लाल दास, महाप्रबंधक, डीआईसी हजारीबाग, उद्योग विभाग, रांची सरकार
10. श्री मंजूनाथ गोंडा, रेजिडेंट डायरेक्टर, कर्नाटक उद्योग मित्र कर्नाटक भवन - 3, खेलगाँव मार्ग, नई दिल्ली
11. श्री यू के एस चौहान, रेजिडेंट आयुक्त, केरल सरकार, नई दिल्ली
12. श्री मन्नी डाक्सिनी गास, संयुक्त उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार, उद्योग विभाग
13. श्री ओ पी कपूर, संयुक्त महानिदेशक, ईपीसीईएस
14. सुश्री सुचित्रा सिन्हा, संयुक्त निदेशक (उद्योग), झारखंड सरकार
15. श्री आर सी दहरा, अपर निदेशक, हरियाणा सरकार, उद्योग, हरियाणा, चंडीगढ़
16. श्री एम एस तेवतिया, अपर निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय
17. श्री प्रवीण रावत, उप सचिव, वित्त मंत्रालय (डीएफएस)
18. श्री ए के सिंह, उप सचिव, उद्योग और नीति संवर्धन विभाग
19. श्री यूपीएस मदान, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एमएडीसी लिमिटेड, मुंबई
20. श्री ए के अग्रवाल, अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली
21. श्रीमती नंदिनी अवडे, सहायक क्षेत्रीय आयुक्त, रेजीडेंट आयुक्त का कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार
22. श्री टी के खान, (आरओ), टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय
23. श्री आर डी मीणा, अनुसंधान सहायक, टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय
24. श्री ए के पुजारी, डीजीएफटी, श्री ए के धाम, संपर्क अधिकारी, आईडीसीओ, नई दिल्ली

विकास आयुक्तों की सूची

25. श्री एम एस राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
26. श्री सुरेश चंद्र पांडा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश

27. श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, फाल्टा, कोलकाता
28. श्री विजय एन शेवाले, विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड, सूरत
29. श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, एपी एसईजेड
30. श्री प्रवीर कुमार, विकास आयुक्त, केएएसईजेड और दहेज सेज
31. श्रीमती श्रीमती लता शुक्ला, विकास आयुक्त, मुंद्रा एसईजेड
32. श्री के एल शर्मा, विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड, गुजरात
33. श्री वेद प्रकाश, विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड
34. श्री अनिल बंबा, विकास आयुक्त, सेरिकिटी एसईजेड
35. श्रीमती एफ डी इनिता, विकास आयुक्त, एमएसईजेड
36. श्री एस एन पाटिल, संयुक्त विकास आयुक्त, दहेज एसईजेड
37. श्री ए के राठौर, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड, इंदौर, मध्य प्रदेश

वाणिज्य विभाग के प्रतिभागियों की सूची

38. श्री अनूप वधावन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
39. श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग
40. श्री आर के पांडे, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
41. श्री अचिंत कुमार, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग